

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- कर्तव्यपरायणता के साथ असाधारण प्रदर्शन करने वाले 48 अधिकारी/कर्मचारी एसीबी महानिदेशक डिस्क (डीजी डिस्क) व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित

जयपुर, 22 दिसंबर, गुरुवार । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने गुरुवार को झालाना डूंगरी, जयपुर स्थित एसीबी मुख्यालय में आयोजित प्रथम एसीबी महानिदेशक डिस्क (डीजी डिस्क) सम्मान समारोह में 48 अधिकारियों को सम्मानित किया।

महानिदेशक श्री सोनी ने सम्मानित होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप राजस्थान एसीबी ने भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई की है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि जिस प्रकार महाभारत में पांडवों को न्याय के लिये अपनों से ही युद्ध करना पड़ा था, उसी प्रकार हमें एसीबी में भी अपने ही समान कार्य करने वाले भ्रष्ट लोकसेवकों पर पूरी ईमानदारी, मेहनत, एवं लगन के साथ कार्यवाही करनी होती है। हमने प्रयास किया है कि हम आमजन के दिल को विश्वास के साथ छू सकें और उन्हें भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक कर सकें।

ब्यूरो प्रमुख श्री सोनी ने कहा कि हमने ब्यूरो में कुछ नवाचार किये हैं जिसमें हमारा प्रयास है कि जनता से सीधा जुड़ाव हो। हमारी सफलता के लिए हमने आमजन से जिला स्तर, तहसील स्तर एवं गांवों में जाकर जन-संवाद किया है। एसीबी राजस्थान में कार्यबल कम है परन्तु हमारे सतत् प्रयास के कारण जिसके चलते पूरे मनोयोग से हमने आमजन में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि एसीबी हेल्पलाईन नम्बर 1064 एवं वाट्सअप हेल्पलाईन 9413502834 को भी हमने सुदृढ बनाया है जिसके परिणाम स्वरूप आमजन द्वारा लगातार हमें सूचना देकर मदद की है, जिससे हमारी कार्यवाहियों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि एसीबी की टेगलाईन है— ट्रेप के साथ भी—ट्रेप के बाद भी इसे वास्तविकता में लाने में राज्य सरकार द्वारा रिवाँल्विंग फंड के रूप में बड़ा सहयोग मिला है।

एसीबी महानिदेशक श्री सोनी ने कहा कि राजस्थान एसीबी ने पूरे देश में अपनी कुशल कार्रवाई से अलग ही मुकाम हासिल किया है, जिसके लिए पूरी एसीबी टीम बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि आज एसीबी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए असाधारण कार्य प्रदर्शन, कर्तव्य परायणता तथा सराहनीय कार्य के फलस्वरूप डीजी डिस्क व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आज सम्मानित तथा साथ ही एसीबी की पूरी टीम भविष्य में

भी इसी लग्न एवं निष्ठा से कार्य करते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा आमजन को भ्रष्टाचार के प्रति सजग एवं जागरूक बनायेंगे।

**इस अवसर पर** अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत, श्री पुष्पेंद्र सिंह, श्री महेश मीणा, श्री ठाकुर चंद्र शील, श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री ललित शर्मा, श्री बजरंग सिंह, श्री नरोत्तम लाल वर्मा, श्री रजनीश पूनिया, श्री विजय सिंह मीणा, श्री दुर्ग सिंह राजपुरोहित, श्री रामनिवास, श्री अब्दुल अहद खान, पुलिस उप अधीक्षक श्री मुकेश यादव (स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय महानिदेशक), श्री जाकिर अख्तर, श्री अनूप सिंह, श्री अभय कुमार, श्री मांगीलाल, श्री राजेश दुरेजा, श्री परमेंद्र कुमार, पुलिस निरीक्षक श्री राजकुमार शर्मा (स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक), श्री प्रकाश चंद, श्री प्रेमचंद, श्री सीजी राम, उप निरीक्षक श्री राजेश तिवारी, हेड कांस्टेबल श्री महेंद्र प्रसाद, कॉन्स्टेबल श्री रमजान अली, श्री टीकाराम, श्री देवेंद्र, श्री रामचंद्र सिंह, श्री राजेश कुमार निनामा, श्री महेश वर्मा, श्री अनिल कुमार, श्री अनूप सिंह भाटी श्री बृजेश, श्री जितेंद्र कुमार और महिला कांस्टेबल श्रीमती सुमन को महानिदेशक डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुख्यालय की जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती सुमन मान्तुवाल सहित अन्य सेवा के अधिकारी व कर्मचारी जिसमें विशिष्ट लोक अभियोजक श्री राजपाल सिंह राठौड़, श्री महेंद्र शांडिल्य, श्री ललित शर्मा, वरिष्ठ विधि अधिकारी श्री संदीप भारद्वाज, सहायक विधि परामर्शी अधिकारी श्री गिरवर सिंह, प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती कमला मीणा, सहायक लेखाधिकारी श्री हिमांशु कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री रोशनलाल मीणा और सूचना सहायक, परिवाद एवं कम्प्यूटर शाखा श्री कृष्ण कुमार को एसीबी के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

**एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064** एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।



